

भूमि जमाबंदी संवत् २०७१-७५ में प्राची लि. दुर्गा पत्र मीरुखा के खसरा न. ११०७/५६३ पर रस दर्ज है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में यह खसरा बिना रस दर्ज है अतः प्राची का खसरा गण जमाबंदी अनुसार रस दर्ज करना सुझा होगा। (Ajeshu) च. के. के.

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमानजी / मुताबिक रिपोर्ट परवारी लष्पा संवत् २०७१-७५ अनुसार खन ११०७/५६३ को प्रतिमन लैंक जोफ इंडिया इण्डिया के नाम रस दर्ज किया जाना उचित होगा। (Ajeshu) च. के. के. ११/१/२५

तहसीलदार की रिपोर्ट

प. ६० की रिपोर्ट व ग्र. ३३० की जांच के आधार पर (दुरुस्ती) करने की आग्रहों की जानी है। (Ajeshu) च. के. के. १९/१/२५

2025
564

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद
प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक / 304

दिनांक: 6/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसंधान में ग्राम अजबोला बाँधि तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 1107/105 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण		रकबा	सुधोक्त किया गया नया इन्द्राज		रकबा
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर		खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	
1.	बिन्दु खा पत्र मीरुखा जाति पठान सा. देह खोलेदार शेष लफ्तर	1107/463	0.14	बिन्दु खा पत्र मीरुखा जाति पठान सा. देह खोलेदार (सहित प्रतिमन लैंक जोफ इंडिया इण्डिया शाखा लाहौर) शेष लफ्तर	1107/463	0.14



क्रमांक: - 5336-37 दिनांक: - 5386-37 6/10/25

शुक्ति: - 1. तहसीलदार नसीराबाद की पालतर्फी
2. आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं निरीक्षक अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर